न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
01 / 2008	01-01-2008	29/01/19

उनवान

1. मकूला पुत्र श्री जगदेव उम्र करीब 80 साल जाति मेव निवारी ग्राम बालियावारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादी

बनाम

01. सुमेर पुत्र श्री जगदेव उम्र करीब 100 साल
02. मकूली उम्र करीब 70 साल
03. मोहम्मदी उम्र करीब 65 साल पुत्रीयान जगदेव
04. हारून उम्र करीब 31 साल
05. सुब्बा उम्र करीब 29 साल
06. न्याजू उम्र करीब 20 साल पुत्रान श्री जमालू पुत्र सलेम पुत्र जगदेव
07. हारूनी उम्र करीब 27 साल
08. हमीदी उम्र करीब 25 साल
09. रोशनी उम्र करीब 23 साल
10. रेशमी उम्र करीब 21 साल
11. अरशीदा उम्र करीब 19 साल पुत्रीयान जमालू पुत्र सलेम पुत्र जगदेव
12. हुसैनी स्त्री जमालू पुत्र सलेम पुत्र जगदेव
13. रहमान उम्र करीब 65 साल
14. इस्लाम उम्र करीब 60 साल
15. फजरू उम्र करीब 55 साल
16. सगरू उम्र करीब 50 साल पुत्रान छोटेखॉं पुत्र जगदेव
17. सुफेदी उम्र करीब 40 साल
18. रहमती उम्र करीब 35 साल पुत्रियान छोटेखॉं पुत्र जगदेव
19. मुनीरी बेवा छोटेखॉं पुत्र जगदेव उम्र करीब 80 साल जाति मेवान निवासीगण बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने वाद इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 35 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा बने है। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार थे। विवादित आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बन्दोबस्त में मखमूल पुत्र जगदेव जाति मेव सा0 देह गैरखातेदार दर्ज किया है जबकि मखमूल के स्थान पर मकूला होना था और गैर खातेदार का इन्द्राज हुआ है वह भी गलत हुआ है। जो खातेदार ही दर्ज होना चाहिये था। मखमूल फोत हो गया है। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण

हसान थे लेकिन जमाबन्दी संवत् 2029 बनाते समय मकूला के स्थान पर मखमूल गलत दर्ज किया है जबकि बर पर हमेशा मिन वादी काश्त करता चला आ रहा था। मखमूल का कोई कब्जा ही नहीं था, मखमूल का नत आया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा स्थित वाके ग्राम बालियावास तिजारा जिला अलवर मखमूल पुत्र जगदेव जाति मेव का नाम अमल जमाबन्दी संवत् 2029 की जमाबन्दी करते समय उक्त आराजी का इन्द्राज गलत मखमूल के नाम दर्ज कर दिया एवं गैरखातेदार शब्द भी गलत दिया है जबकि सैटिलमेन्ट से पूर्व खातेदार दर्ज था। सैटलमेन्ट के समय जगदेव के सभी लडके अलग अलग करते थे और उक्त नम्बर मिन वादी के पास आया और उसी दिन से मिन वादी ही इस आराजी की काश्त हा है। प्रतिवादीगण का नाम मखमूल की विरासत दर्ज होने से हाल रिकार्ड में नाम बदस्तूर चला आ रहा है गलत आया है क्योकि जमाबन्दी संवत् 2029 में गलत अमल होने से विरासत का इंतकाल के आधार पर रिकार्ड में अमल चल रहा है जबकि प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही उनका हक बनता वादी के नाम नहीं किया गया है जो पूर्व रिकार्ड ऑफ राईट के खिलाफ है जबकि मिन वादी सैटिलमेन्ट से खातेदार काश्तकार था जो जमाबन्दी संवत् 2022 में भी इन्द्राज मिन वादी के नाम हो रहा है। सैटिलमेन्ट ने साबिक खसरा नम्बर 35मिन के बहुत से मिन नम्बर हाल बना दिये है। जिन नम्बरों पर और हिस्सेदार चले आ रहे है। जो प्रतिवादीगण ही है। उन नम्बरों में मिन वादी के नाम का इन्द्राजात नहीं है। पारिवारिक के कारण से भी मेरा हक उक्त नम्बर पर बनता है। प्रतिवादीगण का कोई संबंध वो सरोकार उक्त नम्बर हीं है। प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राजात के बदस्तूर रहने की सूरत में मिन वादी के हितों पर कुठाराघात होता सलिये मिन वादी को हाल खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा स्थित वाके ग्राम बालियावास तहसील जिला अलवर में खातेदार करार दिलाने व इसी कदर जमाबन्दी संवत् 2029 ताहाल में अपने नाम का कराने का अधिकारी है। दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6, 12, 14 लगायत 17 व 19 ने अपना इकबाल जवाब कर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। शेष प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11, 13 व 18 के क्ता ने जवाब का बार बार मौका देने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब बन्द किया एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मकूला पुत्र श्री जगदेव करीब 89 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम बालियावास तहसील तिजारा व कालूखां पुत्र निजरखां जाति मेव निवासी हाल गैलपुर पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील वादी पर मनन किया। दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बालियावास ल तिजारा पर दर्ज प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)